राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
1928/2015(134/2013)	01.01.2015 (10.07.2013)	26.06.2023

उनवानः

1. बगडावतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....वादी

बनाम

1. सन्तोषदेवी पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. औमप्रकाश पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. राजेश पुत्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
5. सुरेश पुत्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री मदनसिंह राघव योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1,2,3 की ओर से

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा पेश दावा के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1162 रकबा 46 एयर, 1264 रकबा 30 एयर वाके ग्राम गिगलाना तह0 बहरोड मे स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण के पिता/पिता जगमालसिंह के नाम दर्ज हिस्सा–1/12 की बाबत यह दावा पेश किया जा रहा है। विवादित आराजी का वास्तविक खातेदार काश्तकार जगमालसिंह पुत्र श्री भॅवरसिंह जाति राजपूत निवासी गिगलाना था तथा जगमालसिंह ने अपना 1/12 भाग वादी को जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 11.01.1996 को मौके पर कब्जा देकर वैध प्रतिफल प्राप्त करके बेचान किया था जिस पर वक्त खरीद से वादी बिना किसी रोक टोक के काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। बयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के लिए असल बयनामा मिन वादी ने पटवारी हल्का को दे दिया था। पटवारी हल्का ने असल बयनामा की फोटो कापी अपने पास रखली और असल बयनामा, यह कहते हुऐ वापिस लौटा दिया कि आपके हक मे इंतकाल दर्ज कर दिया जायेगा। जिस पर मन वादी ने पटवारी हल्का की बात पर विश्वास कर दिया और मौके पर अपने खरीद शुदा हिस्से पर बिना रोक टोक के काबिज रहकर काश्त करता रहा। इसलिए राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने की आवश्यकता नही हुई थी। मिन वादी आराजी मुतनाजा मे अपने हिस्से पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास दिनांक 13.05.2013 को गया तब पटवारी हल्का ने बताया कि इन खसरा नम्बरो मे आपके नाम से खातेदारी दर्ज नही है। तो मिन वादी ने पटवारी

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

हल्का को बयनामा दिखाकर इंतकाल दर्ज करने के लिए कहा तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब से आदेश लेकर आने के लिए कहा, इस पर मिन वादी तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर, बयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने न्यायालय मे दावा दायर कर खातेदारी प्राप्त करने के लिए कहा । इसलिए मिन वादी द्वारा यह दावा पेश किया जा रहा है और वादी ने अपने दावा मे बयनामा के मुताबिक खातेदारी मिन वादी के नाम से दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने की प्रार्थना की गई ।

बाद वादी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये । प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 बावजूद तामिल जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित होकर, जबाब दावा पेश किया गया है।

तत्पश्चात वादी की ओर से दावा मे प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का पेश किया गया । जिस प्रार्थना पत्र को न्याय हित मे स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश करने के आदेश दिये गये।

प्रतिवादी सं0 4 व 5 बावजूद तामिल न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत की गई।

उभय पक्षो के अभिवचना के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया खसरा नम्बर हाल 1162 रकबा 0.46 है0, 1264 रकबा 0.30 है0वाके ग्राम गिगलाना तहसील नीमराना जिला अलवर राज0 मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादीगण के पति व पिता जगमालसिंह ने अपने सम्पूर्ण खातेदारी हिस्सा–1/12 को मिन वादी को मौके पर कब्जा देकर व बेचान की चुकता रकम प्राप्त कर, रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 11.01.1996 के जरिये बेचान किया था ?

.....वादी

2. आया आराजी मुतनाजा के 1/12 हिस्से पर मिन वादी वक्त खरीद से मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा हूँ आज भी मौके पर मिन वादी का ही कब्जा काश्त है। बेचान के बाद से उक्त खसरा नम्बरा से प्रतिवादीगण के पति व पिता जगमालसिंह का व उनके बाद प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है?

....वादी

3. आया मिन वादी के नाम से बयनामा दिनांक 11.01.1996 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा गलती व लापरवाही से इंतकाल नही खोला गया इसलिए उक्त आराजी रिकार्ड मे विक्रेता जगमालसिंह के नाम चलती रही और जगमालसिंह की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का इंतकाल उनके वारिसान के नाम से खोल दिया गया । जिससे मिन वादी के हक हकूक जायज होते है ?

.....वादी

4. आया वादी बयनामा दिनांक 11.01.1996 व मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक उक्त खसरा नम्बर 1162,1264 के हिस्सा–1/12 की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है?

.....वादी

5. आया हम वादीगण के पिता का खसरा नम्बर 1162,1264 मे 1/12 हिस्से की खातेदारी थी। जिसने अपनी खातेदारी की भूमि को कभी भी वादी को बेचान नही की ना ही प्रतिफल प्राप्त किया ना ही मौके पर कब्जा दिया गया। इसलिए उक्त आराजी रिकार्ड मे हमारे पिताजी के नाम से दर्ज थी उनकी मृत्यु के बाद हमारे नाम विरासत मे दर्ज हो गयी है और मौके पर कब्जा काश्त भी हमारी ही है। वादी का इस आराजी से कोई लेना देना व कब्जा काश्त नही है?

...प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

5. आया वादी द्वारा हमारे पति व पिता जगमालसिंह से अपने नाम से जो बयनामा बता रहा है वह बयनामा वादी ने फर्जी तैयार किया हुआ है। जिसके आधार पर वादी आराजी मुतनाजा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है । वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जाने योग्य है ? .....प्रतिवादीगण

6. अनुतोष क्या हो ?

न्यायालय

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी ने अपने दावा के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्शत सं0 1 बयनामा दिनांक 11.01.1996, प्रदर्श सं0 2 से 4 जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 पेश कर, प्रदर्शित करवाये गये तथा मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 वादी बगडावतसिंह, पी.ड.–2 रिंकुसिंह पुत्र हरिसिंह, पी.ड.–3 अजयपालसिंह पुत्र अजीतसिंह के शपथ पत्र बयान पेश किये गये। वकील प्रतिवादी को बार–बार मौका दिये जाने पर भी वादी के गवाहो से जिरह नही की जाने पर प्रतिवादी के वकील की जिरह बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई

वकील वादी को काफी असवर दिये जाने पर भी प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजीं साक्ष्य पेश नही करने पर, प्रतिवादीगण की साक्ष्य बन्द की जाकर पत्रावली वास्त बहस नियत की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ, कथन किया कि वादी द्वारा पत्रावली मे पेश दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के कारण डिक्री किया जाने के तर्क दिये गये। वकील प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिउत्तर के रूप मे कोई बहस नही की गई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली मे कायम तनकी सं0 1 से 4 को सिद्ध करने का भार वादी पर है। जिसके लिए तनकी सं0 1 व 2 आपस मे एक दुसरे से संबंध रखती है इसलिए उक्त दोनो तनकीयो का एक साथ निस्तारण किया जाना उचित है। वादी द्वारा खसरा नम्बर हाल 1162,1264 वाके ग्राम गिगलाना के 1/12 हिस्सा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 11.01.1996 को मौके पर कब्जा लेकर एवं बयनामा की चूकता राशि अदा कर खरीद करना अपने दावा मे अंकित किया गया है। जिस तथ्य को साबित करने के लिए वादी ने अपने दावा के साथ असल बयनामा पेश किया गया है। जिसका अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य सही पाये जाते है कि वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का 1/12 हिस्सा विक्रेता जगमालसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह से रजि0 बयनामा दिनांक 11.01.1996 को खरीद किया गया है। जिसमे विक्रेता ने मौके पर क्रेता को कब्जा देना व बेचान की चुकता रकम प्राप्त करना स्वीकार करना अंकित किया हुआ है। इसलिए वादी तनकी सं0 1 व 2 को सिद्ध करने मे सफल रहा है। इसलिए तनकी सं0 1 व 2 का निस्तारण वादी के पक्ष मे किया जाता है।

तनकी सं0 3 व 4 भी आपस मे एक दूसरी से मिलती झुलती होने के कारण उक्त तनकी सं0 3 व 4 का भी एक साथ निस्तारण किया जाता है कि बयनामा दिनांक 11.01.1996 के आधार पर खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही है। जबकि बयनामा के मुताबिक खातेदारी वादी के नाम से दर्ज होनी चाहिऐ थी। बयनामा की बाबत पक्षकारान मे किसी प्रकार का विवाद होना भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है । प्रतिवादीगण द्वारा इसके विरोध मे दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। केवल जबाब दावा पेश किया गया है जिसके तथ्यो पर विश्वास किया जाने के कोई आधार पत्रावली पर पेश नही है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य के पूर्ण अवलोकन से तनकी सं0 3 व 4 को भी सिद्ध करने मे वादी सफल रहा है। इसलिए तनकी सं0 3 व 4 का निस्तारण वादी के पक्ष मे किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (कोटपुतली-बहरोड़)

तनकी सं0 5 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। जिसका सिद्ध करने के लिए प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है । बल्कि जबाब दावा मे यह कथन किये गये है कि हमारे पिताजी जगमालसिंह ने अपने जीवन काल मे खसरा नम्बर 1162, 1264 वाके ग्राम गिगलाना मे से किसी भी भाग का बयनामा वादी के पक्ष मे नही किया गया ना ही मौके पर कब्जा दिया गया ना ही प्रतिफल प्राप्त किया गया। लेकिन इन तथ्यो की पुष्टी के लिए प्रतिवादीगण द्वारा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की गई है। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मे किये गये तथ्यो को सही मानने के कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही होने के कारण प्रतिवादी द्वारा तनकी सं0 5 को अपने पक्ष मे सिद्ध करने मे विफल रहा है। इसलिए तनकी सं0 5 का निस्तारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

।। आदेश

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1162 रकबा 0.46 है0, 1264 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गिगलाना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 प्रत्येक के नाम से दर्ज हिस्सा–1/60 पर से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा उसके स्थान पर उक्त खसरा नम्बरान के 1/12 हिस्से का बयनामा दिनांक 11.01.1996 के आधार पर वादी (बगडावतसिंह) को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे तथा इसी अनुसार हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
1928/2015(134/2013)	01.01.2015 (10.07.2013)	26.06.2025

उनवानः

1. बगडावतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....वादी

बनांम

1. सन्तोषदेवी पत्नी जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
3. औमप्रकाश पुत्र जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
4. राजेश, पुत्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0
5. सुरेश पुत्री जगमालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गिगलाना तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

श्री मदनसिंह राघव योग्य अधिवक्ता प्रति0 सं0 1,2,3 की ओर से

।। आदेश

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1162 रकबा 0.46 है0, 1264 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गिगलाना तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 मे प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 प्रत्येक के नाम से दर्ज हिस्सा–1/60 पर से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 का नाम कलमजन किया जाता है तथा उसके स्थान पर उक्त खसरा नम्बरान के 1/12 हिस्से का बयनामा दिनांक 11.01.1996 के आधार पर वादी (बगडावतसिंह) को खातेदार घोषित किया जाता है तथा शेष खातेदारी इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे तथा इसी अनुसार हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे अंकन करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)